ACM आमेर जयपुर

फर्द अहकाम

त्रिवेणी बनाम सरकार

न्यायालय

संख्या 17/24 धा.9

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
	4/3/25	पत्रावली आज दिनांक 4/3/25 को पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित को जाने से पूर्वानुसार दिनांक 25/3/25 को पेश हो।	
	25/3/25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/4/25 को पेश हो।	
	2/4/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। उभय पक्ष के बहस हेतु समय चाहा। आ.ता. पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करें अन्यथा मुताबिक के आधार पर निर्णय किया जावेगा। पत्रावली दिनांक 8/4/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	8/4/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। प्रा.पत्र अस्वीकार निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:41:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय – सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 17 / 2024 **निर्णय दिनांक 08.04.2025**

शिव दयाल पुत्र श्री जोरिया, जाति मीणा, निवासी– ग्राम खोरा बीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार रामपुरा डाबडी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।
2. गोपाल पुत्र श्री मुरली, जाति अहीर (यादव), निवासी– शुभरामपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर । ग्राम
3. दिनेश पुत्र श्री रूडाराम, जाति अहीर (यादव), निवासी– ग्राम जैतपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर ।
4. दिनेश कुमार पुत्र श्री रामनारायण, जाति अहीर (यादव), निवासी– ग्राम शुभरामपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।
5. रामप्यारी पत्नी श्री रामनारायण, जाति अहीर (यादव), निवासी– ग्राम शुभरामपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।
6. रामलाल पुत्र श्री नानछाराम उर्फ नानचीराम, जाति अहीर (यादव), निवासी– ग्राम शुभरामपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।
7. शंकरलाल पुत्र श्री रूडाराम, जाति अहीर (यादव), निवासी– ग्राम जैतपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर ।
8. शैतान सिंह पुत्र श्री रामनारायण, जाति अहीर (यादव), निवासी– ग्राम शुभरामपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर
9. श्योजीराम पुत्र श्री नानछाराम उर्फ नानचीराम, जाति अहीर (यादव निवासी – ग्राम शुभरामपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।
10. जगदीश पुत्र श्री धन्ना, जाति मीणा, निवासी– ग्राम खोरा बीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।
11. प्रेम देवी पुत्र स्व. ग्यारसीलाल, जाति मीणा, निवासी– ग्राम खोरा बीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।
12. भगवानी देवी पुत्री स्व. ग्यारसीलाल, जाति मीणा, निवासी– ग्राम खोरा बीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।
13. भैरूराम पुत्र श्री नारायण, जाति मीणा, निवासी– ग्राम खोरा वीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:41:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

14. मैना देवी पुत्री स्व. ग्यारसीलाल, जाति मीणा, निवासी– ग्राम खोरा बीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।
15. रामगोपाल पुत्र श्री नारायण, जाति मीणा, निवासी– ग्राम खोरा बीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।
16. रामचन्द्र पुत्र श्री नारायण, जाति मीणा, निवासी– ग्राम खोरा बीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।
17. रामरतन पुत्र श्री नारायण, जाति मीणा, निवासी– ग्राम खोरा बीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।
18. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री नारायण, जाति मीणा, निवासीकृ ग्राम खोरा बीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।
19. शंकर लाल मीणा पुत्र श्री रामेश्वर मीणा, जाति मीणा, निवासी– ग्राम खोरा बीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर
20. सूजी देवी पुत्री स्व. ग्यारसीलाल, जाति मीणा, निवासी– ग्राम खोरा बीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।
21. सूणाराम पुत्र श्री धन्ना, जाति मीणा, निवासी– ग्राम खोरा बीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।
22. सुल्तान पुत्र श्री नारायण, जाति मीणा, निवासी– ग्राम खोरा बीसल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।
23. सोहनी देवी पत्नी श्री रामचन्द्र, जाति मीणा, निवासी– ग्राम खो बीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।
24. अर्जुन पुत्र भूरामल, जाति जाट, निवासी– ग्राम जैतपुरा, तहसील चौंमू, जिला जयपुर।
25. प्रभू देवी पत्नी सूरजमल, जाति जाट, निवासी– ग्राम जैतपुरा, तहसील चौंमू, जिला जयपुर
26. बाबूलाल पुत्र भूरामल, जाति जाट, निवासी– ग्राम जैतपुरा, तहसील चौंमू जिला जयपुर ।
27. भगवान पुत्र भूरामल, जाति जाट, निवासी– ग्राम जैतपुरा, तहसील चौंमू, जिला जयपुर ।
28. रामकुवार पुत्र भूरामल, जाति जाट, निवासी– ग्राम जैतपुरा, तहसील चौंमू, जिला जयपुर
29. लक्ष्मण पुत्र भूरामल, जाति जाट, निवासी– ग्राम जैतपुरा, तहसील चौंमू, जिला जयपुर
30. श्रवण पुत्र भूरामल, जाति जाट, निवासी– ग्राम जैतपुरा, तहसील चौंमू, जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:41:49 IST
Reason: SelfAttested

.... अप्रार्थीगण

31. अशोक कुमार मीणा पुत्र श्री रामकिशोर मीणा, जाति मीणा, निवासी– मीणो की ढाणी, ग्राम आछोजाई, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।

........प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र

उपस्थिति :– (1) श्री सत्यनारायण चौधरी, मुकेश शर्मा – अधिवक्ता वादी की ओर से
(2)श्री बनवारी कुमावत – अधिवक्ता अप्रार्थी 24 से 28, 30

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि ग्राम खोरावीसाल, पटवार हल्का खोरावीसाल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोरावीसाल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में भूमि खसरा नंबर 10 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 11 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 16 रकबा 0.8000 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 15/762 रकबा 0.1400 हैक्टेयर स्थित है, जिनके गत खसरा नंबर 7 रकबा 17 बिस्वा व खसरा नंबर 8 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा जोकि प्रार्थी के पिता जोरिया के नाम रही है। उक्त गत खसरा नंबर के सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट अधिकारी द्वारा हाल खसरा नंबर 10 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 11 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 16 रकबा 0.8000 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 15/762 रकबा 0.1400 हैक्टेयर बनाये गये। उक्त भूमियां प्रार्थी को उसके पिता की मृत्यु के उपरांत विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजीयात को खातेदार काश्तकार हुआ। प्रार्थी ने उक्त भूमियों में से हाल भूमि खसरा नंबर 10 को अप्रार्थी संख्या 31 को बेचान कर दिया है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से दिनांक 15.01.2024 को कहा कि वे प्रार्थी के गत खसरा नंबर 7 व 8 के राजस्व नक्शे में वर्णित सीमा क्षेत्र की भूमि जो हाल नक्शे के कम कर उनके हाल खसरा नंबर 12, 11/761, 10/760 बना दिये है व कुछ भाग को खसरा नंबर 10/759, 16/765 में दर्शित कर दिया है, उसे राजस्व नक्शे में दुरूस्त करवाते हुये खसरा नंबर 11/761, 10/760 संपूर्ण को व खसरा नंबर 10/759 के कुछ भाग को राजस्व नक्शे में डिलीट करवाते हुए उसे खसरा नंबर 10 में जुडवाया जावे एवं इसी प्रकार खसरा नंबर 12, 16/765 व 10/759 के कुछ भाग को पुराने नक्शे के अनुसार दुरूस्त करते हुये हाल राजस्व नक्शे में डिलीट करवाकर उसे हाल खसरा नंबर 16 में जुडवाया जावे तो उन्होंने हाल राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे को गत राजस्व नक्शे के अनुसार दुरूस्त करवाने साफ इंकार कर दिया तथा राजस्व रिकॉर्ड के गलत इंद्राजों के आधार पर वादग्रस्त भूमियों को खुर्द–बुर्द करने की धमकी भी दी। जिस कारण प्रार्थी को अपने वैधानिक अधिकारों के संरक्षणार्थ यह वाद पेश करना पडा।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अप्रार्थीगण की विधिवत जरिये रजिस्टर्ड एडी तलवी की गई। अप्रथ्री संख्या 24 ता 28, 29/2, 29/3, व 30 की ओ से जवाब पेश हुआ।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 24 ता 28, 29/2, 29/3, व 30 द्वारा प्रस्तुत गत नक्शा, सन् 2041–42, हाल नक्शा, मिलान क्षेत्रफल से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि का नक्शा हाल नक्शे के अनुसार ही बनाया गया है जो कि अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि है तथा इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होती है। प्रस्तुत तर्को एवं दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी को खुर्द बुर्द, मौका परिवर्तन कर रहे हो अर्थात प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया केस साबित करने में असफल रहे है। फलस्वरूप दौराने बहस उल्लेखित किये गये तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:41:49 IST
Reason: SelfAttested

नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। जहाँ तीनों बिन्दुओं में से एक भी बिंदू का अभाव हो, वहाँ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, यहाँ पर प्रार्थीगण ने प्रथमदृष्टया केस साबित नहीं किया है, इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया, तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर
सत्यमेव जयते
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:41:49 IST
Reason: SelfAttested